

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 525/2022

अनवान:-

1. संजय कुमार पुत्र सन्तलाल जाति मोदी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरजीतसिंह पुत्र बीरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
2. आरिफ खान पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नवजीत सिंह पुत्र मखनसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील नोहर।
4. फारुक खान पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
6. बलरामसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
7. मनजीत पत्नी मखनसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
8. मोहम्मद रूस्तम पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. लखविन्द्रसिंह पुत्र मखनसिंह जाति जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
10. सुखदेव सिंह पुत्र बख्शीसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
11. सुखपाल कौर उर्फ मनप्रीतकौर पुत्री बलदेवसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
2. परोकार राज अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 6/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 162/159 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है तथा वाद भूमि को लेकर सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त के संबंध में भी झगड़ा रहता है वाद भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार ही वाद भूमि का खाता व लगान वादी प्रतिवादीगण से अलहदा-अलहदा करवा पाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स० 1 ता 11 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं है अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में लाई गई। प्रतिवादी स० 12 राजपेराकार ने जवाब पेश किया कि वाद का निस्तारण संजय कुमार को सुरक्षित

24

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

रखते हुए किया जाना उचित है जवाब शामिल पत्रावली किया गया। वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की वाद भूमि को पक्षकारान के मुताबिक कब्जा काशत करते आ रहे है अतः मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के खाता व लगान अलग से कायम किया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 162/159 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाशतकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. वादी स0 1 संजय कुमार पुत्र सन्तलाल जाति मोदी साकिन नोहर खातेदार

प0न0 314/444(19) कि0न0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल रकबा 1.265 हैक्ट बारानी प्रथम

2. प्रतिवादी स0 1 अमरजीतसिंह पुत्र बीरसिंह हिस्सा 77423/506000। प्रतिवादी स0 3 नवजीत सिंह पुत्र मखनसिंह हिस्सा 77423/1518000। प्रतिवादी स0 7 मनजीतसिंह पुत्र मखनसिंह हिस्सा 77423/1518000। प्रतिवादी स0 9 लखविन्द्र सिंह पुत्र मखनसिंह हिस्सा 77423/518000। प्रतिवादी स0 10 सुखदेवसिंह पुत्र बख्शीसिंह हिस्सा 3163/10120 जाति जटसिख साकिन सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी। प्रतिवादी संख्या 2 आरिफ खान पुत्र नवाबदीन हिस्सा 34021/379500। प्रतिवादी स0 4 फारूख खान पुत्र नवाबदीन हिस्सा 34021/379500। प्रतिवादी स0 8 मोहम्मद रूस्तम पुत्र नवाबदीन 34021/379500 हिस्सा जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर। प्रतिवादी स0 5 बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह हिस्सा 1581/50600। प्रतिवादी स0 6 बलरामसिंह पुत्र गुरचरणसिंह हिस्सा 1581/50600 जाति जटसिख सा0 ख्योवाली तह0 मलोट। शिशुपाल पुत्र मनफुल हिस्सा 253/5060 जाति जाट साकिन ललानिया खातेदार प0न0 314/444 (19) कि0न0 2 ता 9 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, 12 ता 19 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, किला न0 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल कित्ता 20 रकबा 5.0600 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 525/2022

अनवान:-

1. संजय कुमार पुत्र सन्तलाल जाति मोदी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम

1. अमरजीतसिंह पुत्र बीरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
2. आरिफ खान पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नवजीत सिंह पुत्र मखनसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील नोहर।
4. फारूक खान पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
6. बलरामसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जट सिंख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
7. मनजीत पत्नी मखनसिंह जाति जट सिंख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
8. मोहम्मद रूस्तम पुत्र नवाबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. लखविन्द्रसिंह पुत्र मखनसिंह जाति जाति जट सिंख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
10. सुखदेव सिंह पुत्र बख्शीसिंह जाति जट सिंख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
11. सुखपाल कौर उर्फ मनप्रीतकौर पुत्री बलदेवसिंह जाति जट सिंख निवासी सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 525 सन 2022 निर्णय दिनांक 6/12/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 162/159 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. वादी स0 1 संजय कुमार पुत्र सन्तलाल जाति मोदी साकिन नोहर खातेदार

प0न0 314/444(19) कि0न0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल रकबा 1.265 हैक्ट बारानी प्रथम


2. प्रतिवादी स0 1 अमरजीतसिंह पुत्र बीरसिंह हिस्सा 77423/506000। प्रतिवादी स0 3 नवजीत सिंह पुत्र मखनसिंह हिस्सा 77423/1518000। प्रतिवादी स0 7 मनजीतसिंह पुत्र मखनसिंह हिस्सा 77423/1518000। प्रतिवादी स0 9 लखविन्द्र सिंह पुत्र मखनसिंह हिस्सा 77423/518000। प्रतिवादी स0 10 सुखदेवसिंह पुत्र बख्शीसिंह हिस्सा 3163/10120 जाति जटसिख साकिन सिलवासा खुर्द तहसील टिब्बी। प्रतिवादी संख्या 2 आरिफ खान पुत्र नवाबदीन हिस्सा 34021/379500। प्रतिवादी स0 4 फारूख खान पुत्र नवाबदीन हिस्सा 34021/379500। प्रतिवादी स0 8 मोहम्मद रूस्तम पुत्र नवाबदीन 34021/379500 हिस्सा जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर। प्रतिवादी स0 5 बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरणसिंह हिस्सा 1581/50600। प्रतिवादी स0 6 बलरामसिंह पुत्र गुरचरणसिंह हिस्सा 1581/50600 जाति जटसिख सा0 ख्योवाली तह0 मलोट। शिशुपाल पुत्र मनफुल हिस्सा 253/5060 जाति जाट साकिन ललानिया खातेदार प0न0

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

314/444 (19) कि०न० 2 ता 9 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, 12 ता 19 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, किला न० 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल किता 20 रकबा 5.0600 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 6/12/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर